न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

प्रार्थना–पत्र संख्या:–111/2018 दायर दिनांक 25.06.2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. मोहम्मद हनीफ खाँ पुत्र अजीम खाँ, उम्र–71साल, जाति–कायमखानी, निवासी–सरदारपुराकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. एवज खाँ पुत्र अजीम खाँ, 2. खान मोहम्मद पुत्र अलादीन खाँ, 3. याकूब खाँ पुत्र अलादीन खाँ, 4. मुनिरा बानो पत्नी अलादीन खाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–सरदारपुरा कलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. भँवरीबानो पुत्री अलादीन खाँ पत्नी हाकमअली, जाति–कायमखानी, निवासी–सुद्रासन, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. अजमदो पुत्री अलादीन खाँ पत्नी फूल मोहम्मद, जाति–कायमखानी, निवासी–बेरी छोटी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. जुबेदा पुत्री अलादीन खाँ पत्नी नबाब खाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–छापरी खुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. अनवरी पुत्री अलादीन खाँ पत्नी हनीफ खाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–छापरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. अनार पुत्री अलादीन खाँ पत्नी भँवरू खाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–छापरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. असगर खाँ पुत्र अजीम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not ...

Scanned by CamScanner

		खाँ, 11. शौकत अली खाँ पुत्र अजीम खाँ, 12. लियाकत अली खाँ पुत्र अजीम खाँ, 13. शमशेर खाँ दत्तक पुत्र मजीद खाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–सरदारपुरा कलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. महबूब खाँ पुत्र धनू खाँ, 15. मो0 असगर खाँ पुत्र छोटू खाँ, 16. सरीफन बानो पत्नी छोटू खाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–सरदारपुरा कलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. एस.बी.आई.बैंक, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश–09 नियम 13 व आदेश–09 नियम 07, C.P.C.,
एवं
दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act,

उपस्थित:–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, प्रार्थी।
2. श्री विश्वनाथप्रतापसिंह, वकील, अप्रार्थीगण।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–111/2018
दायर दिनाँक 25.06.2018 निर्णय दिनाँक 07.08.2018
मोहम्मद हनीफ खाँ बनाम् एवज खाँ, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 07.08.2018

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वाके शरहद सरदारपुरा कलाँ के खेत खसरा नम्बर 89 रकबा 18.02 बीघा, खसरा नम्बर 109 रकवा 05.18 बीघा, खसरा नम्बर 246 रकवा 16.17 बीघा व खसरा नम्बर 402/252 रकबा 01.15 बीघा कुल रकबा 42.12 बीघा तथा खसरा नम्बर 24 रकबा 07.11 बीघा, खसरा नम्बर 87 रकबा 04.02 बीघा कुल रकवा 11.13 बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 16 की पैतृक सम्पत्ति की होकर संयुक्त कब्जाकाश्त की रही है। प्रार्थी का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खतौनी की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

न्यायालय आदेश के बाद वर्तमान खसरा नम्बर 481/87 रकबा 02.01 बीघा, खसरा नम्बर 24 रकबा 03.16 बीघा, खसरा नम्बर 87 रकवा 02.01 बीघा, खसरा नम्बर 482/24 रकबा 03.15 बीघा, खसरा नम्बर 402/252 रकबा 01.15 बीघा, खसरा नम्बर 480/246 रकबा 04.09 बीघा, खसरा नम्बर 89 रकवा 06.01 बीघा, खसरा नम्बर 477/89 रकबा 06.04 बीघा, खसरा नम्बर 478/89 रकवा 06.00 बीघा, खसरा नम्बर 246 रकवा 06.04 बीघा, खसरा नम्बर 479/246 रकबा 06.04 बीघा, खसरा नम्बर 109 रकबा 05.18 बीघा बने हैं जिन्हें पुनः पूर्ववत् ही किया जाना है।

अनुवान एवजखाँ बनाम् मोहम्मद हनीफ खाँ वगैरा मुकदमा नम्बर 104/2017 में प्रतिवादीगण को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी अनुतोष–

उक्त आवेदन स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनाँक 19.06.2017 एवं संशोधित आदेश दिनाँक 08.11.2017 व 04.12.2017 को अपास्त कर प्रार्थी को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर आदेश किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 09, 11, 13 ता 19 से प्रार्थी द्वारा कोई रिलिफ नहीं चाही गयी होने से इनका नाम इस प्रार्थना–पत्र से हटाया जाता है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01, 10 व 12 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। प्रार्थी की पहचान वकील श्री अजीतसिंह राठौड़ ने की तथा अप्रार्थीगण की पहचान वकील श्री विश्वनाथप्रतापसिंह ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् द्वारा पेश राजीनामा का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः जरिये राजीनामा प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–111/2018
दायर दिनाँक 25.06.2018 निर्णय दिनाँक 07.08.2018
मोहम्मद हनीफ खाँ बनाम् एवज खाँ, वगैरा।

–:: आदेश ::–

आदेश–09 नियम–13 सी0पी0सी0 के तहत् प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकारोपरान्त, मूल राजस्व वाद संख्या 104/2017 अनुवान् एजवखाँ बनाम् मोहम्मद हनीफ खाँ, वगैरा में निर्णय व डिक्री दिनाँक 19.06.2017 को अपास्त किया जाकर, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है कि,

हस्ब मूल दावा संख्या 104/2017 में वादग्रस्त भूमि, शरहद सरदारपुरा कलाँ का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड वाउण्ड्स के कर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, खसरा नम्बर 89 रकबा 18.02 बीघा में से रकबा 05.17 बीघा उत्तर दिशा का प्रार्थी/प्रतिवादी मोहम्मद हनीफ खाँ को व रकबा 05.14 बीघा दक्षिणी–पश्चिमी भाग का अप्रार्थी/प्रतिवादी असगर खाँ को व रकबा 05.15 बीघा दक्षिणी–पूर्वी भाग का अप्रार्थी/प्रतिवादी लियाकत खाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आवागमन हेतु रास्ता की भूमि मोहम्मद हनीफ खाँ की भूमि के दक्षिण में चिपते ही पन्द्रह फुट चौड़ाई का रास्ता जो कि रकबा 0.09 बीघा का होगा तथा अप्रार्थी असगर खाँ व लियाकत खाँ की भूमियों के मध्य में पन्द्रह फुट चौड़ाई का रास्ता अर्थात् रकबा 0.07 बीघा भूमि रास्ता की भूमि रहेगी।
2. खसरा नम्बर 109 रकबा 05.18 बीघा सम्पूर्ण का अप्रार्थी/प्रतिवादी शमशेर खाँ दत्तकपुत्र मजीद खाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 246 रकबा 16.17 बीघा में से रकबा 06.04 बीघा उत्तरी भाग का अप्रार्थी/वादी एवजखाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस रकबे की शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा के साथ पेश नजनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 07.08.2018 को सरे में इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 14/9/18

नोट:- अप्रार्थी सं० 05 भंवरी बानो पुत्री अलादीन खां पत्नी हाकम अली खां के स्थान पर हमदू बानो पुत्री अलादीन खां पत्नी हाकम अली खां दुरुस्त किया जाता है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

प्रार्थना–पत्र संख्याः–111/2018 दायर दिनॉक 25.06.2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1- मोहम्मद हनीफ खॉं पुत्र अजीम खॉं, उम्र–71साल, जाति–कायमखानी, निवासी–सरदारपुराकलॉं, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. एवज खॉं पुत्र अजीम खॉं, 2. खान मोहम्मद पुत्र अलादीन खॉं, 3. याकूब खॉं पुत्र अलादीन खॉं, 4. मुनिरा बानो पत्नी अलादीन खॉं, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–सरदारपुरा कलॉं, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. भँवरीबानो पुत्री अलादीन खॉं पत्नी हाकमअली, जाति–कायमखानी, निवासी–सुद्रासन, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. अजमदो पुत्री अलादीन खॉं पत्नी फूल मोहम्मद, जाति–कायमखानी, निवासी–बेरी छोटी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. जुबेदा पुत्री अलादीन खॉं पत्नी नबाब खॉं, जाति–कायमखानी, निवासी–छापरी खुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. अनवरी पुत्री अलादीन खॉं पत्नी हनीफ खॉं, जाति–कायमखानी, निवासी–छापरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. अनार पुत्री अलादीन खॉं पत्नी भँवरू खॉं, जाति–कायमखानी, निवासी–छापरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		10. असगर खाँ पुत्र अजीम खाँ, 11. शौकत अली खाँ पुत्र अजीम खाँ, 12. लियाकत अली खाँ पुत्र अजीम खाँ, 13. शमशेर खाँ दत्तक पुत्र मजीद खाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–सरदारपुरा कलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. महबूब खाँ पुत्र धनू खाँ, 15. मो0 असगर खाँ पुत्र छोटू खाँ, 16. सरीफन बानो पत्नी छोटू खाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–सरदारपुरा कलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. एस.बी.आई.बैंक, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19. मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत आदेश–09 नियम 13 व आदेश–09 नियम 07, C.P.C.,

एवं

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act,

दिनाँक 07.08.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील, प्रार्थी व श्री विश्वनाथप्रतापसिंह, वकील, अप्रार्थीगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आदेश–09 नियम–13 सी0पी0सी0 के तहत् प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकारोपरान्त, मूल राजस्व वाद संख्या 104/2017 अनुवान् एजवखाँ बनाम् मोहम्मद हनीफ खाँ, वगैरा में निर्णय व डिक्री दिनाँक 19.06.2017 को अपास्त किया जाकर, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है कि,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

हस्ब मूल दावा संख्या 104/2017 में वादग्रस्त भूमि, शरहद सरदारपुरा कलाँ का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, खसरा नम्बर 89 रकबा 18.02 बीघा में से रकबा 05.17 बीघा उत्तर दिशा का प्रार्थी/प्रतिवादी मोहम्मद हनीफ खाँ को व रकबा 05.14 बीघा दक्षिणी–पश्चिमी भाग का अप्रार्थी/प्रतिवादी असगर खाँ को व रकबा 05.15 बीघा दक्षिणी–पूर्वी भाग का अप्रार्थी/प्रतिवादी लियाकत खाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा आवागमन हेतु रास्ता की भूमि मोहम्मद हनीफ खाँ की भूमि के दक्षिण में चिपते ही पन्द्रह फुट चौड़ाई का रास्ता जो कि रकबा 0.09 बीघा का होगा तथा अप्रार्थी अशगर खाँ व लियाकत खाँ की भूमियों के मध्य में पन्द्रह फुट चौड़ाई का रास्ता अर्थात् रकबा 0.07 बीघा भूमि रास्ता की भूमि रहेगी।
2. खसरा नम्बर 109 रकबा 05.18 बीघा सम्पूर्ण का अप्रार्थी/प्रतिवादी शमशेर खॉ दत्तकपुत्र मजीद खाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. खसरा नम्बर 246 रकबा 16.17 बीघा में से रकबा 06.04 बीघा उत्तरी भाग का अप्रार्थी/वादी एवज़खाँ को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस रकबे की शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। राजीनामा के साथ पेश नजनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुवलिंग............–............... बाबत................... ..–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **07.08.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फिस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय		
फिस कमिश्नर			हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
दिनांक :- 14/9/18

नोट:- अप्रार्थी क्रं० 05 अंकित नाम पुत्री अब्दुल्ला खां पत्नी हाकम अली खां के स्थान पर हाजरा बानो पुत्री अब्दुल्ला खां पत्नी हाकम अली खां दुरुस्त किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner